न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 88/2020 दायर दिनांकः 20/07/2020

उनवान

1. रामरतन आयु 75 वर्ष पुत्र कजोड उर्फ कजोडीलाल जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

.....वादी

बनाम

1. गिर्राजबाई पुत्री मोतीलाल जाति मीणा
2. जमनाबाई पत्नि स्व0 मोतीलाल जाति मीणा
3. द्वारकाबाई पुत्री मोतीलाल जाति मीणा
4. हेमराज पुत्र मोतीलाल जाति मीणा
5. परमानन्द पुत्र कजोडीलाल जाति मीणा
6. हजारीलाल पुत्र कजोडीलाल जाति मीणा निवासीगण जिरोद तह0 अटरू जिला बारां
7. जानकीबाई पत्नि रामकरण जाति मीणा पुत्री फूमा मीणा निवासी हाल मुकाम खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0

एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनांक 07/04/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 आर. टी. एक्ट. एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 के अनुसार ग्राम एवं माल कुन्जैड तहसील अटरू की खाता संख्या 161 का ख0न0 711 का रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पति एवं पिता मोतीलाल के एवं प्रतिवादी कम 5 व 6 के एवं प्रतिवादी कम 7 की माता फूमा पत्नी स्व0 रामनारायण के खाते दर्ज चली आ रही थी। जिसमें खातेदार

मोतीलाल का स्वर्गवास हो चुका है एवं फूमा पत्नी स्व0 रामनारायण का भी स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार मोतीलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 एवं फूमा के वारिसान प्रतिवादी क्रम 7 जानकीबाई उसकी पुत्री है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिल गौर है। इसी प्रकार बाद की जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 के मुताबिक खाता संख्या 184 की ख0नं0 711 की 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी क्रम 8 के अधिनस्थ कर्मचरियों की लापरवाही के कारण उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम रामरतन दर्ज न होकर रामनारायण दर्ज कर दिया। जबकि खातेदार रामनाराण की मृत्यु हो चुकी है और उसके स्थान पर वादी का नाम दर्ज होना चाहिये था। जिसके बाद की समस्त नकलों में वादी का नाम दर्ज होना चाहिये था। जिसके बाद की समस्त नकलों में वादी का नाम गलत दर्ज होकर आज दिन तक गलत नाम रामनारायण दर्ज चला आ रहा है। उक्त त्रुटि प्रतिवादी क्रम 8 के अधिनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है जिसे वादी दुरूस्त करवाकर रामनारायण के स्थान पर रामरतन घोषित होकर इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना सहायता न्यायालय दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तहसीलदार साहब, अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिन्हे धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित कर दिया है परन्तु नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया तो वादी को अपने आराजी पर प्राप्त हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा इस वजह से धारा 80(2) सी.पी.सी. के पृथक से प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 19.06.2020 को वादी द्वारा खाते की नकल निकलवाने पर जानकारी होने पर प्रथम व अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 सहखातेदार होने से उन्हे इस वाद में फोरमाल पक्षकार बनाया गया है जिनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद पत्र में वर्णित आराजी ग्राम व माल कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारा में स्थित होने से एवं पक्षकरारान ग्राम जिरोद तहसील अटरू के निवासी होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि –

(अ) वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम रामनारायण के स्थान पर रामरतन घोषित कर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रतिवादी क्रम 8 को प्रदान किये जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 8 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के अन्तर्गत करीब 11 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

4. अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम रामनारायण के स्थान पर रामरतन घोषित कर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रतिवादी क्रम 8 को प्रदान किये जावे। अभिभाषक वादी द्वारा आगे निवेदन किया है कि उक्त विवादित आराजी के मूल खातेदार कजोडीलाल पुत्र भैरूलाल के 6 पुत्र थे। प्रार्थी उनमें से एक है। एक पुत्र रामनारायण की कई वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है और उनके स्थान पर उनकी पत्नी फूमा का नाम राजस्व रिकार्ड में 1/6 भाग पर दर्ज हो चुका है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कुंजेड की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2030–33 में ख.सं. 711 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा वादी रामरतन पुत्र कजोडीलाल का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। अगली जमाबंदी संवत् 2034–37 में खाता सं0 711 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा में रामरतन की जगह रामनारायण दर्ज कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्ट्या लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77 में भी क्रम सं0 8 पर रामनारायण पुत्र कजोडीलाल हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड है जबकि रामनारायण की मृत्यु के बाद से ही उनके 1/6 हिस्से पर उनकी पत्नी फूमा का नाम पूर्व से ही दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम रामरतन मीना पुत्र कजोड अंकित है।

आधार कार्ड में वादी का नाम रामरतन पुत्र कजोड दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि सहखातेदार रामरतन के स्थान पर रामनारायण गलत दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कुन्जैड तहसील अटरू की खाता संख्या 223 ख.नं. 612, 616, 626 व 627 कुल किता 4 का रकबा 2.67 है0 में सहखातेदार रामनारायण पुत्र कजोडीलाल के स्थान पर रामरतन पुत्र कजोडीलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 88/2020

उनवान

1. रामरतन आयु 75 वर्ष पुत्र कजोड उर्फ कजोडीलाल जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

.....वादी

बनाम

1. गिर्राजबाई पुत्री मोतीलाल जाति मीणा
2. जमनाबाई पत्नि स्व0 मोतीलाल जाति मीणा
3. द्वारकाबाई पुत्री मोतीलाल जाति मीणा
4. हेमराज पुत्र मोतीलाल जाति मीणा
5. परमानन्द पुत्र कजोडीलाल जाति मीणा
6. हजारीलाल पुत्र कजोडीलाल जाति मीणा निवासीगण जिरोद तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
7. जानकीबाई पत्नि रामकरण जाति मीणा पुत्री फूमा मीणा निवासी हाल मुकाम खुरी तहसील अटरू जिला बारां ।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....**X**..... रूबरू.....**X**.....

बहाजिर :–
वादी :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....**X**.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कुन्जैड तहसील अटरू की खाता संख्या 223 ख.नं. 612, 616, 626 व 627 कुल किता 4 का रकबा 2.67 है0 में सहखातेदार रामनारायण पुत्र कजोडीलाल के स्थान पर रामरतन पुत्र कजोडीलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....**X**..... मुबालिक .....**X**..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....**X**..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....**X**..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/04/2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)